

नग० ८ ७१५/२०१८/मृष्ट/कृ-शर०

5

## न्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल ग्वालियर श्रुखला

## कोर्ट रीवा संभाग रीवा म०प्र०



अधिकारी मुख्यमंत्री के द्वारा  
उम्मीदवारा देखा गया  
19.9.18

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक  
(संकेत दर्शक) संख्या

राजस्व पुनरीक्षण क्रमांक ..... / 2018

शेरअली तनय रहीम वक्स उम्र-79 वर्ष पेशा—खेती निवासी ग्राम—कुर्वाह  
तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म०प्र० ——पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

- 1— असरफ अली तनय रहीम वक्स उम्र-67 वर्ष पेशा—खेती निवासी  
ग्राम—कुर्वाह तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म०प्र०
- 2— मोहम्मद अली तनय असरफ अली उम्र-42 वर्ष पेशा—नौकरी निवासी  
ग्राम—कुर्वाह तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म०प्र०
- 3— हमीद अली उर्फ अफीज अली तनय असरफ अली उम्र-30 वर्ष  
पेशा—खेती निवासी ग्राम—कुर्वाह तहसील गोपद बनास जिला—सीधी  
म०प्र०
- 4— जमीर मोहम्मद तनय मिर्जाअली उम्र-48 वर्ष पेशा—खेती निवासी  
ग्राम—कुर्वाह तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म०प्र०
- 5— रफी मोहम्मद तनय मिर्जाअली उम्र-47 वर्ष पेशा—खेती निवासी  
ग्राम—कुर्वाह तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म०प्र०
- 6— सफी मोहम्मद तनय मिर्जाअली उम्र-33 वर्ष पेशा—खेती निवासी  
ग्राम—कुर्वाह तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म०प्र०

मुल नियमित  
उत्तराधिकारी  
जाटा गवाल  
24.11.18

MW

✓

(6)

7- हैसरज़ूला W/O मिर्जाअली उम्र-48 वर्ष पेशा—गृहकार्य निवासी  
ग्राम—कुर्वाह तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म0प्र0

8- अब्दुल मजीद तनय रहीम वक्स उम्र-64 वर्ष पेशा—खेती निवासी  
ग्राम—कुर्वाह तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म0प्र0

बाकर अली मृतक उसके वारिष्ठः—

9- मोहम्मद बसीर तनय बाकर अली उम्र-55 वर्ष पेशा—खेती निवासी  
ग्राम—नौढ़िया तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म0प्र0

10- नसीबुननिशा पत्नी बसीर मोहम्मद उम्र-50 वर्ष पेशा—गृहकार्य  
निवासी ग्राम—नौढ़िया तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म0प्र0

11- मोहम्मद तोफीद तनय बसीर मोहम्मद उम्र-18 वर्ष निवासी  
ग्राम—नौढ़िया तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म0प्र0

12- मोहम्मद सफीक तनय बसीर मोहम्मद उम्र-15 वर्ष नाबालिक बली  
संरक्षक पिता बसीर मोहम्मद निवासी ग्राम—नौढ़िया तहसील गोपद  
बनास जिला—सीधी म0प्र0

13- मोहम्मद कैफ तनय बसीर मोहम्मद उम्र-13 वर्ष नाबालिक बली  
संरक्षक पिता बसीर मोहम्मद निवासी ग्राम—नौढ़िया तहसील गोपद  
बनास जिला—सीधी म0प्र0

14- मुख्तारुल हुसैन तनय बाकर अली उम्र-35 वर्ष पेशा—खेती निवासी  
ग्राम—नौढ़िया तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म0प्र0

15- अख्तर हुसैन तनय बाकर अली उम्र-30 वर्ष पेशा—खेती निवासी  
ग्राम—नौढ़िया तहसील गोपद बनास जिला—सीधी म0प्र0

— गैरपुनरीक्षणकर्तागण / उत्तरवादीगण

राजस्व पुनरीक्षण विरुद्ध अपर  
कमिशनर लिंक कोर्ट सीधी, संभाग  
रीवा म0प्र0 के न्यायालय मे लंबित  
द्वितीय राजस्व अपील क्रमांक.

875 / अपील / 2012-13 एवं 746 /

अपील/2012-13 के आदेश  
 दिनांक-15.05.2018 से व्यथित  
 होकर रिट पिटीशन माननीय उच्च  
 न्यायालय जबलपुर के केश नम्बर.  
 एम.पी.2747/2018 के आदेश  
 दिनांक-07.09.2018 के पालन में  
 पुनरीक्षण प्रस्तुत है।

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा-50 (1)

म०प्र० भू-राजस्व संहिता १५७३

मान्यवर,

पुनरीक्षणकर्ता की ओर से निम्नांकित आधारों पर पुनरीक्षण  
 माननीय न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है :-

यह कि गैरपुनरीक्षणकर्ता क्रमांक. 1 असरफ अली एवं 2  
 मोहम्मद अली द्वारा न्यायालय श्रीमान् अनुविभागीय अधिकारी महोदय  
 गोपद बनास जिला-सीधी म०प्र० द्वारा प्रथम राजस्व अपील क्रमांक.  
 12/अपील/2011-12 में पारित आदेश दिनांक-28.03.2013 के विरुद्ध  
 न्यायालय श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा शृंखला  
 न्यायालय सीधी जिला-सीधी म०प्र० में अपील प्रस्तुत की गई जो कि  
 अपील क्रमांक. 746/अपील/2012-13 में दर्ज हुई एवं अन्य अपील  
 राजस्व प्रकरण क्रमांक. 875/अपील/2012-13 में दर्ज होकर एक साथ  
 लंबित होकर सुनवाई में लिया गया जिसमें अपर आयुक्त महोदय शृंखला  
 कोर्ट सीधी द्वारा आक्षेपित आदेश पारित कर उक्त अपील तहसील गोपद  
 बनास को रिमाण्ड किया गया जिसके विरुद्ध पुनरीक्षणकर्ता उक्त आदेश  
 के विरुद्ध रिट पिटीशन माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर में प्रस्तुत की  
 है, जो कि केश नंबर एम.पी.2747/2018 में दर्ज होकर सुनवाई में  
 माननीय उच्च न्यायालय द्वारा लिया गया जहां पर आदेश दिनांक-07.  
 09.2018 को आदेश पातिर कर डायरेक्सन दिया गया कि अपलिकेशन  
 माननीय न्यायालय बोर्ड आफ रेन्यू के समक्ष अपलिकेशन आदेश दिनांक

112  
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश गवालियर  
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-3

प्रकरण क्रमांक R.S.Z/इ/2018 जिला-लीचौ

शोभानी वकात विरुद्ध 31/8/2018 को

(1)	(2)	(3)
18-12-18	<p>1. आवेदक की ओर से श्री. अमरकुमार उल्लगा..... अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कमिश्नर/अपर कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के प्रकरण क्रमांक 475/अपील/12-13..... में पारित आदेश दिनांक 15-05-2018 के विरुद्ध इस न्यायालय में दिनांक 15-09-2018 प्रस्तुत की गयी है।</p> <p>2. म०प्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत निगरानी सुनने की अधिकारिता इस न्यायालय को नहीं है। अतः आवेदक को सक्षम न्यायालय में आवदेन प्रस्तुत करने हेतु मूलतः वापस किया जाता है। निगरानी की छायाप्रति प्रकरण के साथ रखी जाये।</p> <p>3. इस न्यायालय का प्रकरण समाप्त किया जाता है, तत्पश्चात् प्रकरण दा.द. हो।</p>	 सदस्य

एवं 746/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक-15.05.2018 को माननीय अपर आयुक्त महोदय रीवा लिंक कोर्ट सीधी से अंतिम आदेश


